रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276299
CG-DL-E-17092026-276299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4918] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
No. 4918] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

का.आ. 5109(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के खंड (89) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2702(अ) तारीख 29 मई, 2026 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए पच्चीस हजार रुपए (25,000 रू.) प्रति मास को मजदूरी सीमा के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. आर-12025/01/2026-एसएस-II]
तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5109(E).— In exercise of the powers conferred by clause (89) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2702(E) dated 29th May 2026, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies rupees twenty-five thousand (₹25,000) per month as the wage ceiling for the purposes of Chapter III of the said Code, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. R-12025/01/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ईपीएफओ ठाणे दक्षिण (घाटकोपर) EPFO THANE SOUTH (GHATKOPAR)

भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

No. MH/THS-GKP/RC-I Sectt/ Date : 17.09.2026

PRESS RELEASE

Sub: Enhancement of EPF Statutory wage ceiling from ₹15000/- to ₹25000/- w.e.f. 17.09.2026-reg

Government of India, Ministry of Labour & Employment on the recommendation of Union Cabinet chaired by Hon'ble Prime Minister, approved enhancement of statutory wage ceiling for mandatory coverage under Employees' Provident Fund Organisation from existing ₹15000/- to ₹25000/- per month w.e.f. 17.09.2026. By this historic decision from the Government, following benefit will be available for employees and employers:

1. An employee will pay EPF contribution on higher salary thereby making them eligible to draw higher pension for themselves along with their family members.
2. The enhanced contribution by an employee will be available for credit in their EPF account for earning higher rate of interest @8.25% for current financial year. The worker can withdraw the contribution upto the extent of 75% immediately by submitting online claim as per their need. The claim amounts up to ₹500000/- is being auto settled within 03 days by adapting new technology under CITES.
3. The employer will have to pay higher EPF contribution on enhanced wage ceiling of ₹25000/- thereby employee will be benefitted.
4. The additional financial burden to employer can be recouped by availing incentive up to ₹3000/- per month under Central Government PMVBRY Scheme by providing Aadhaar no and other KYC details of its employees. The benefit is available up to 02 years for non-manufacturing sector and 04 years for manufacturing sectors for job creation.

गणेश कुमार/ Ganesh Kumar

क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त -I

Regional P F Commissioner-I

क्षेत्रीय कार्यालय घाटकोपर

Regional Office Ghatkopar

पत्रक

विषय: १७.०९.२०२६ पासून EPF (भविष्य निर्वाह निधी) अंतर्गत वैधानिक वेतन मर्यादा ₹१५,०००/- वरून ₹२५,०००/- पर्यंत वाढवणे.

माननीय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार, भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना' (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठीची वैधानिक वेतन मर्यादा सध्याच्या ₹१५,०००/- वरून ₹२५,०००/- प्रति महिना (१७.०९.२०२६ पासून) करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ते यांना खालील फायदे मिळतील:

१. कर्मचारी आता अधिक वेतनावर EPF अंशदान (contribution) भरू शकतील, ज्यामुळे ते स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी अधिक पेन्शन मिळवण्यास पात्र ठरतील.

२. कर्मचाऱ्याचे वाढीव अंशदान त्यांच्या EPF खात्यात जमा होईल आणि त्यावर चालू आर्थिक वर्षासाठी ८.२५% दराने अधिक व्याज मिळेल. कामगार त्यांच्या गरजेनुसार ऑनलाइन दावा (claim) सादर करून या अंशदानापैकी ७५% पर्यंतची रक्कम त्वरित काढू शकतात. CITES अंतर्गत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ₹५,००,०००/- पर्यंतच्या दाव्यांची रक्कम ३ दिवसांच्या आत 'ऑटो-सेटल' (स्वयंचलितपणे निकाली) केली जाते.

३. नियोक्त्याला ₹२५,०००/- च्या वाढीव वेतन मर्यादेवर अधिक EPF अंशदान भरावे लागेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्याला लाभ होईल.

४. कर्मचाऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि इतर KYC तपशील सादर करून केंद्र सरकारच्या PMVBRY योजनेअंतर्गत प्रति महिना ₹३,०००/- पर्यंतचे प्रोत्साहन (incentive) मिळवून नियोक्त्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार भरून काढता येईल. हा लाभ रोजगार निर्मितीसाठी बिगर-उत्पादन क्षेत्रासाठी २ वर्षांपर्यंत आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी ४ वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहे.

गणेश कुमार/ Ganesh Kumar
क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त -I
Regional P F Commissioner-I
क्षेत्रीय कार्यालय घाटकोपर
Regional Office Ghatkopar

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: 17.09.2026 से EPF की वैधानिक वेतन सीमा को ₹15,000/- से बढ़ाकर ₹25,000/- करने के संबंध में

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वैधानिक वेतन सीमा को मौजूदा ₹15,000/- प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000/- प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। यह सीमा 17.09.2026 से लागू होगी। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से कर्मचारियों और नियोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

1. कर्मचारी अब अधिक वेतन पर EPF योगदान देंगे, जिससे वे खुद और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अधिक पेंशन पाने के हकदार होंगे।
2. कर्मचारी द्वारा किया गया बढ़ा हुआ योगदान उनके EPF खाते में जमा होगा, जिस पर चालू वित्त वर्ष के लिए 8.25% की दर से अधिक ब्याज मिलेगा। कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन दावा (क्लेम) करके अपने योगदान का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। CITES के तहत नई तकनीक अपनाकर ₹5,00,000/- तक के दावों का निपटान 3 दिनों के भीतर अपने आप (ऑटो-सेटल) हो जाता है।
3. नियोक्ता को ₹25,000/- की बढ़ी हुई वेतन सीमा पर अधिक EPF योगदान देना होगा, जिससे कर्मचारी को लाभ होगा।
4. नियोक्ता पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ की भरपाई केंद्र सरकार की PMVBRY योजना के तहत ₹3,000/- प्रति माह तक का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्राप्त करके की जा सकती है; इसके लिए उन्हें अपने कर्मचारियों का आधार नंबर और अन्य KYC विवरण देने होंगे। यह लाभ नौकरी पैदा करने के लिए गैर-विनिर्माण क्षेत्र में 2 साल तक और विनिर्माण क्षेत्र में 4 साल तक उपलब्ध है।

गणेश कुमार/ Ganesh Kumar
क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त -I
Regional P F Commissioner-I
क्षेत्रीय कार्यालय घाटकोपर
Regional Office Ghatkopar